

प्रेस-विज्ञप्ति

मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं अन्य माननीय महानुभावों के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन आजमगढ़ की परिधि के 05 कि0मी0 तक को घोषित किया गया “नो फ्लाईंग जोन”

आज दिनांक 22.07.2024 को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) द्वारा मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं अन्य माननीय महानुभावों के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस लाइन व कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को “नो फ्लाईंग जोन” घोषित किया गया है, तथा कार्यक्रम स्थल के 05 किमी की परिधि में सभी प्रकार के ड्रोन उड़ान/संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे।

➡ मा0 मुख्यमंत्री जी के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद में पूर्व से ही धारा 144 द0प्र0सं0 लागू है।

थाना- मेंहनगरचोरी की पाईप के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 20.07.2024 को वादी मुकदमा शशिभूषण सिंह S/O श्री राजपति सिंह ग्राम शिवरामपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरिर दिया गया कि वादी के खेत में सिचाई के लिये प्लास्टिक के लगभग 200 मीटर की पाईप किसी अज्ञात चोर द्वारा रात्रि में चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 267/24 धारा 303(2) BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 21.07.2024 को उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि 01 व्यक्ति प्लास्टिक की पाइप को बेचने की फिराक में लोनी नदी पुल के पास मौजूद है। इस सूचना पर उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा नदी पुल के पास से अभियुक्त आलोक सिंह S/O स्व0 विरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम शिवरामपुर PS मेंहनगर आजमगढ़ को चोरी की पाइप के साथ समय करीब 13:25 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** आलोक सिंह S/O स्व0 विरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम शिवरामपुर PS मेंहनगर आजमगढ़।

**बरामदगी-** प्लास्टिक का पाईप (200 मीटर)

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 267/24 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-**

- मु0अ0सं0- 61/20 धारा 323,504,506,427 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़।
- मु0अ0सं0- 267/24 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 पवन कुमार सिंह, हे0का0 ध्रुवनरायण सिंह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंजअवैध तमंचा कारतूस के साथ 02 चोर गिरफ्तार; चोरी का सामान बरामद

**पूर्व की घटना-** दिनांक 20.07.2024 को वादी मुकदमा मिग्रेस यादव S/O राम समुझ यादव ग्रा0 सुहवल पो0 परासी थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0 पत्र दिया गया कि वादी का इंजन 19.07.2024 की रात्रि को वादी के खेत से किसी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 377/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. ओमप्रकाश यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1- अभिषेक यादव पुत्र रामबिलास यादव निवासी जगदीशपुर कुड़िया सुल्तानीपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, 2- युवराज उर्फ गोलु पुत्र शिवकुमार यादव निवासी सुहवल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, का नाम प्रकाश में आया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 21.07.2024 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह को सूचना मिली कि रामसमुझ यादव के खेत से इंजन चोरी करने वाले व्यक्ति सुहवल बाजार के आगे करहाँ रोड पर हार्डिशन तार के पास खड़े है। जिनके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह ने सुहवल बाजार के आगे करहाँ रोड पर हार्डिशन तार के करीब से 02 अभियुक्तों - अभिषेक यादव पुत्र रामबिलास यादव निवासी जगदीशपुर कुड़िया सुल्तानीपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ, 2- युवराज उर्फ गोलु पुत्र शिवकुमार यादव निवासी सुहवल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 22.05 बजे गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्तों के पास से 01 पानी पंखा सेट व 02 बोरी में इंजन का सामान रखा हुआ बरामद हुआ। तथा अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रामबिलास यादव निवासी जगदीशपुर कुड़िया सुल्तानीपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के पास से 01 देशी तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अभिषेक के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 380/24 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

#### गिरफ्तारी अभियुक्त-

- 1- अभिषेक यादव पुत्र रामबिलास यादव निवासी जगदीशपुर कुड़िया सुल्तानीपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
- 2- युवराज उर्फ गोलु पुत्र शिवकुमार यादव निवासी सुहवल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

#### बरामदगी-

- 1- इंजन का हेड नाजिल पम्प साइलेंसर 02, हैण्डपम्प 02, पुलिया 01, रिंच 02, पानी का पंखा सेट 01 व इंजन के अन्य छोटे पार्ट्स (दोनों के पास से)
- 2- 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभिषेक यादव के पास से)

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 380/24 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़। (अभिषेक)

#### आपराधिक इतिहास- (दोनों अभियुक्तों के)

- 1- मु0अ0सं0- 377/24 धारा 303(2)/331(4)/305 BNS थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- मु0अ0सं0- 380/24 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, प्र0उ0नि0 शिवम त्यागी, हे0का0 विपिन कुमार, का0 संदीप पाल, का0 विनय कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़।

### थाना कोतवाली

### 2.5 किग्रा गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.07.2024 को उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, मय हमराह को सूचना मिली कि अभियुक्त मंजू यादव पुत्र लालमन यादव निवासी पगरा श्रीरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष अवैध गांजा के साथ हाफिजपुर खण्डहर पर मौजूद है। इस सूचना पर उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय मय हमराह द्वारा अभियुक्त मंजू यादव पुत्र लालमन यादव निवासी पगरा श्रीरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष को मौके से समय करीब 21:30 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 2.5 किलोग्राम गांजा, 18 गोगो, 01 छोटी तराजू, 01 बण्डल एल्युमिनियम फायल व 350 रुपये बरामद हुये। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 421/24 धारा 8 /20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- मंजू यादव पुत्र लालमन यादव निवासी पगरा श्रीरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी- 2.5 किलोग्राम गांजा, 18 गोगो, 01 छोटी तराजू, 01 बण्डल एल्युमिनियम व 350 रुपये

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 421/24 धारा 8 /20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़।

#### आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	47/22	8/20 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़
2	48/22	3/25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़
3	421/24	8/20 एनडीपीएस एक्ट	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, उ0नि0 प्रशिक्षणाधीन रवि प्रकाश गौतम, उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, उ0नि0 प्रदीप वाजपेयी, हे0कां0 कृष्ण मुरारी सिंह, कां0 विकास सरोज, कां0 राजन कुमार, कां0 अरूण यादव थाना कोतवाली आजमगढ़।

### थाना बिलरियागंज

### नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 21.07.2024 को वादि मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की नाबालिग लडकी के साथ अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र गिरिशचन्द निवासी सराय सागर मालटाड़ी थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने दुष्कर्म किया है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 262/24 धारा (3)376भादवि व 5j(2)/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 22.07.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र गिरिशचन्द निवासी सराय सागर मालटाड़ी थाना जीयनपुर आजमगढ़ को छिही बाजार से समय करीब 14.55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अतुल कुमार पुत्र गिरिशचन्द निवासी सराय सागर मालटाड़ी थाना जीयनपुर आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 262/24 धारा (3)376भादवि व 5j(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, हे०का० सुनील सिंह, का० संजय कुमार सिंह का० अतुल सिंह यादव  
थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।